मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2011 से 31.3.2012 तक

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गईः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा–4	अनिर्णीत	
2	पैरा–5	अनिर्णीत	
3	पैरा–6	निर्णीत	(वर्ष 04/2006 से 03/2008 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह पैरा समाविष्ट है)

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2011

1	पैरा–3	निर्णीत	
2	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(वर्तमान वित्तीय स्थिति पैरा 4 में वर्णित)
3	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(पैरा 4 (ख) में पुनः प्रारूपित किया गया है)
4	पैरा–5	निर्णीत	(पैरा 5 में पुनः प्रारूपित किया गया है)
5	पैरा–6	निर्णीत	(पैरा 6 में पुनः प्रारूपित किया गया है)
6	पैरा–7	अनिर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षाः–

हिमाचल प्रदेश सैनिक, कल्याण कोष के लेखाओं अवधि 1.4.2011 से 31.6.2012 का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री अनिल कुमार द्वारा दिनांक 9.8.2012, 20.8.2012 व 21.8.2012 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में किया गया। मास 05/2011 आय व माह 11/2011 के व्यय की विस्तृत जॉच की गई।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, सम्बन्धित संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की

गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई त्रुटियों के लिए उतरदायी नहीं होगा अपितु इस विभाग का दायित्व केवल विस्तृत जॉच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 <u>लेखा परीक्षा शुल्कः–</u>

हिमाचल प्रदेश मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष के लेखों अवधि 01.04.2011 से 31.3.2012 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹1800/– बनता है जिसे अनुभाग अधिकारी, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पत्र संख्या 170/आडिट–2011–2012, दिनांक 22.8.11 द्वारा इस राशि को बैंकर चैक द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को शीध्र भेजने हेतु आग्रह किया गया।

4 <u>वित्तीय स्थितिः–</u>

(क) हिमाचल प्रदेश मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष के अवधि 01.04.2008 से 31.3.2011 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	योग	भुगतान	अन्तिम शेष
2011–2012	45361333.64	1000	सेविंग–162965 आर0डी0–4738284	50263582.64	3628000	46635582.64

जमा का विवरणः–

बचत खता संख्या 4004 (हि0प्र0 को0आ0 बैंक)		2374212.64
सावधि खाते में जमा राशि		44261370.00
	योग	**46635582.64**

(ख) पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 4 (ख) में आपति दर्ज की थी ₹92,730.25/–की राशि बिना मिलान कर दिनांक 06.1.2007 को रोकड़ वही में आय के रूप में जमा दर्शाकर बैंक के साथ मिलान किया गया था, जो कि आपत्तिजनक है। अतः पुनः सझाव दिया जाता है कि उक्त राशि की बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए व उक्त राशि अर्थात ₹92750.25 का मिलान सुनिश्चित किया जाए।

5 <u>सावधि जमाः–</u>

दिनांक 31.3.2011 को सावधि खाते में ₹44261370/–की राशि निवेश की गई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट ष्कष् पर दिया गया है।

6 निधि से किए गए व्यय का समिति से अनुमोदन करवाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 1.7.2005 के पश्चात किए गए व्यय को मुख्यमंत्री सैनिक कल्याण निधि के लिए गठित समिति से अनुमोदित नहीं करवाया गया है जबकि अधिसूचना संख्या जी0ए0डी0(ई)(सी)8–1/99, दिनांक 18.9.2003 क पैरा 5 में वर्णित वित्तीय शक्तियों के अनुसार निधि से उपयोग की गई राशि की शक्तियॉ, समिति में ही निहित है। अतः निधि से संचालन हेतु गठित समिति से दिनांक 01.7.2005 से 31.3.2012 तक किए गए व्यय की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त की जाए। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 (वर्ष 04/2008 से 03/2011) में भी आपत्ति दर्ज की थी परन्तु अंकेक्षण के सुझावानुसार कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि निधि से किए गए भुगतान की कार्योतार स्वीकृति अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

7 किए गए भुगतान के सम्बन्ध में ''भुगतान रसीद'' प्राप्त न करनाः–

मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष से भुगतान जिला उपायुक्तों के माध्यम ये किया जाता है। भुगतान के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किए गए विभिन्न अभिलेखों की जॉच पड़ताल के दौरान पाया गया कि भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित रसीदें या तो विलम्ब से प्राप्त की गई है या प्राप्त ही नहीं की गई है। निम्नलिखित कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में रसीदें प्राप्त नहीं की गई है, जिन्हें अविलम्ब प्राप्त कर अनुपालना अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

	दिनांक	सैनिक का नाम (जिन्हें अनुदान दिया गया)	चैक संख्या/ड्राफ्ट	राशि
1	16.11.11	नायक श्री राजेश गांव व डाकघर मानगढ़ तहसील पच्छाद जिला सिरमौर (द्वारा जिलाधीश सिरमौर)	247731/16.11. 2011	300000
2	16.11.11	सिपाहीर अरविंद कुमार गांव व डाकघर धौलकुयॉ जिला सिरमौर (द्वारा जिलाधीश सिरमौर)	यथोपरि	300000
3	16.11.11	लेस नायक तिलक राज गांव पहलवी डाघर तथा तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर (द्वारा जिलाधीश बिलासपुर)	247732/16.11. 2011	25000
4	16.11.11	नायक हेम राज गांव जरोल डाकघर चकमोह जिला हमीरपुर (जिलाधीश हमीरपुर)	247733/16.11.11	25000
5	16.11.11	ब्रि0 रोशन कुमार सिंह टिक्का लेशर धर्मशाला (जिलाधीश कांगड़ा)	247734/16.11.11	25000

6	16.11.11	सिपाही समशेर सिंह गांव थंबा डाकघर बिलासपुर तहसील देहरा जिला कांगड़ा (जिलाधीश कांगड़ा)	247734 / 16.11.11	25000
7	16.11.11	नायक रवि कुमार राणा गांव व डाकघर हारसी तहसील जयसिंहपुर जिला कांगड़ा	247734 / 16.11.11	25000
8	16.11.11	नायक राज कुमार गांव व डाकघीर भुललना तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा	247734 / 16.11.11	25000
9	16.11.11	हवलदार राकेश गुलेरिया गांव थेडू डाकघर कांगो–का घेरा तहसील सरकाघाट जिला मंडी	247774 / 28.11.11	300000

इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों की छान–बीन अपने स्तर पर करके यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त भुगतानों की रसीदें प्राप्त कर ली गई है।

8 **लधु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

9 **निष्कर्षः–** अंकेक्षण प्रतिवेदन मे पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों के समायोजन / निपटारे हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता / –
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)201 / 99 दिनांक, 07.01.2013, शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

<u>पंजीकृतः</u> 1. उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हि0प्र0 सरकार, शिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.